# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
## पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या 04/2017**

**बउनवान**

1. रतनलाल उर्फ रामरतन पुत्र श्री चन्दालाल जाति मीणा
2. बेजनाथ पुत्र श्री चन्दालाल जाति मीणा निवासीगण रजपाली तहसील व जिला बारां (राजस्थान) **(अपीलांटगण)**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राजस्थान) **(रेंस्पोडेंटगण)**

**अपील बनाराजगी नामान्तरण संख्या 284 ग्राम रजपाली दिनांक 02.05.2016**
**अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट**

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांटगण )**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्टगण)**

**निर्णय दिनांक 06.06.2022**

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटगण की माता नट्टी बाई ने एक वाद न्यायालय एस.डी.ओ. बारां के यहां अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आर.टी.एक्ट बउनवान नट्टीबाई वगैरह बनाम प्रेमचन्द वगैरह पेश किया था। जिसमें दौराने दावा अपीलान्ट की माता नट्टी बाई का स्वर्गवास दिनांक 13.11.2013 को हो गया था। जिस पर अपीलान्ट ने कायम मुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को कायम मुकामान बना दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण व प्रतिवादीगण के बीच राजनामा हो गया व राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2016 जारी करते समय अपीलांट्स की माता नट्टी बाई के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित होने से रह गया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोलां गया इन्तकाल संख्या 284 वाके ग्राम रजपाली से मृतका नट्टीबाई का नाम डिलिट किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर इन्तकाल कमांक 284 दिनांक [illegible]2016 को दुरूस्त करते हुए मृतका नट्टीबाई का नाम हटाया जाकर [illegible] नट्टीबाई का नाम डिलिट किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:33:38 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार वाद के दौरान अपीलांट्स की माता का देहान्त होने से अपीलांट्स द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को मृतका के कायम मुकामान दर्ज करने का आदेश हुआ। वाद में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण का निस्तारण राजीनामा अनुसार हुआ, परन्तु पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2016 में मृतका नट्टीबाई के नाम के सम्मुख मृतक शब्द अंकित नहीं हुआ। इस निर्णय डिक्री के आधार पर खोले गये इन्तकाल नंबर 284 दिनांक 02.05.2016 में भी मृतका का नाम अंकित कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे तथा वर्तमान जमाबन्दी से भी मृतका नट्टीबाई का नाम हटाये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि माननीय न्यायालय एस.डी. ओ. बारां के निर्णय दिनांक 07.01.2016 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 02.05. 2016 दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है जिसमें मुताबिक निर्णय एवं डिक्री अंकन किये जाने से कोई त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय एस.डी.ओ. बारां के निर्णय दिनांक 07.01.2016 के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें मुताबिक राजीनामा दिनांक 07.01.2016 ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नंबर 268 रकबा 048 है. भूमि की वर्तमान डी एल सी की दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया गया। उक्त वाद में वादीगण नट्टीबाई बेवा चन्दालाल, रतनलाल पुत्र चन्दालाल, बैजनाथ पुत्र चन्दालाल जातिगण मीणा निवासीगण रजपाली थे। अतः मुताबिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01. 2016 नामान्तरकरण भी नट्टीबाई बेवा चन्दालाल, रतनलाल पुत्र चन्दालाल, बैजनाथ पुत्र चन्दालाल जातिगण मीणा निवासीगण रजपाली के नाम दर्ज हुआ। अपीलांट्स का कथन है कि नट्टीबाई की मृत्यु दौराने दावा हो चुकी थी तथा डिक्री में नट्टीबाई के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित होने से रह गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को न्यायालय एस.डी.ओ. बारां के उक्त निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में करनी चाहिए थी।

प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय एस.डी.ओ. बारां के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया है। अतः इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन होनी पाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:33:38 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)